



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

15
JDA
URBAN
RAJASTHAN

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2023/डी-253

दिनांक:- 06/2/2023

AELPE PROJECTS PRIVATE LIMITED,

जरिये निदेशक,

श्री राकेश जुनेजा,

1 ट 30, जवाहर नगर, जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 615/2, ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 268वीं बैठक दिनांक 20.01.2023 में प्रस्तुत किया गया, जिस अनुसार आपके कुल 0.45 मी. (प्लिन्थ) + 4.88 मी. (स्टिल्ट) + 37.80 मी. (प्रथम से 12 तल) = 43.13 मी. + 6.87 मी. (मशीन रूम/ममटी/वाटर टैंक) कुल 50.00 मीटर ऊँचाई व सकल निर्मित क्षेत्रफल 16,461.62 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु प्रकरण में भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। आप द्वारा संदर्भित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने तक 2 बेसमेन्ट + स्टिल्ट + प्रथम से 11 तल कुल 39.98 मीटर ऊँचाई हेतु मांग पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

आप द्वारा किये गये निवेदन एवं बीपीसी-बीपी की 268वीं बैठक दिनांक 20.01.2023 में लिये गये निर्णयानुसार आप निम्न कार्यवाही करें :-

1. प्रस्तावित विस्तार हेतु पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम 2020 के अनुसार शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें।
2. आप द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
3. आप द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नवि/2020 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति प्रस्तुत करें।
4. भवन में आकाशीय बिजली से बचाव हेतु तडित चालक का प्रावधान N.B.C. के प्रावधान अनुसार किया जाना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
5. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.11.2(4) के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सुचारु रूप से संचालन की सुनिश्चिता, अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
6. परियोजना में आग से बचाव हेतु भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2 के अनुसार क्षरण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, उसको अन्य उपयोग अथवा कमरों में शामिल नहीं किया गया जावेगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
7. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility का प्रावधान भवन मानचित्रों में चिन्हित करावे एवं उक्त प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
8. प्रस्तावित परियोजना की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक है। अतः अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किये जाने के पश्चात 90 दिवस की अवधि में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाइन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अथवा विनियम-19 व 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
9. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चितता आप द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {5153}; फैक्स- +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



10. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें।
11. अग्निशमन शुल्क की राशि **रुपये 15,14,424/-** आप द्वारा फायर सेस हेतु राज्यस्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में जमा करवाकर जमा रसीद की प्रति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रस्तुत करें।
- उपरोक्त के अतिरिक्त कृपया आप निम्न प्रकार राशि प्राधिकरण परिसर स्थित बैंक में जमा करवाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

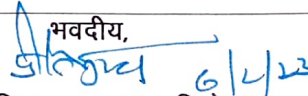
1.	भवन अनुज्ञा शुल्क	रु0	9,08,654 / -
2.	शेल्टर फण्ड (बी.एस.यू.पी.)	रु0	1,51,442 / -
3.	आदेश दिनांक 26.10.2015 की अनुपालना में अतिरिक्त शेल्टर फण्ड @ 100/- प्रति वर्गफीट (5 प्रतिशत बी.ए.आर. के क्षेत्रफल पर)	रु0	5,57,647 / -
कुल राशि (लेने योग्य)		रु0	16,17,744 / -

नोट:- 1. भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 249वीं बैठक दिनांक 03.11.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णय के बिन्दु 01 के अनुसार "भवन विनियम 2020 की अनुसूची के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार "भवन निर्माण संबंधी राशि हेतु मांग पत्र जारी होने के दिवस से 60 दिवस में राशि जमा करानी होगी। 60 दिवस में राशि जमा न होने पर अगले 60 दिवस में 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा करायी जा सकेगी। ब्याज की गणना विलम्ब अवधि के लिए ही की जावेगी।" मांग पत्र जारी होने के 30 दिवस पश्चात 01 स्मरण पत्र जारी किया जावेगा एवं 120 दिवस की अवधि में भी मांग राशि जमा नहीं करवाने पर बीपीसी-बीपी के निर्णय को स्वतः निरस्त माना जाकर पत्रावली दफ्तर दाखिल कर दी जावेगी। विकासकर्ता द्वारा आवेदन करने पर पुनः जाँच शुल्क व आवेदन शुल्क जमा करवाया जाकर प्रकरण को बीपीसी-बीपी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।"

2. भवन विनियम 2020 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार बेटरमेंट लेवी की राशि 1,05,71,320/- पांच किशतों में निम्नानुसार देय होगी-

क्र. सं.	विवरण	प्रतिशत	राशि	दिनांक	समयावधि
1.	प्रथम किशत	बेटरमेंट लेवी का 20%	21,14,264 / -	06.02.2024	भवन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष
2.	द्वितीय किशत	बेटरमेंट लेवी का 20%	21,14,264 / -	06.11.2024	भवन मानचित्र स्वीकृति से एक वर्ष नौ माह
3.	तृतीय किशत	बेटरमेंट लेवी का 20%	21,14,264 / -	06.08.2025	भवन मानचित्र स्वीकृति से दो वर्ष छः माह
4.	चतुर्थ किशत	बेटरमेंट लेवी का 20%	21,14,264 / -	06.05.2026	भवन मानचित्र स्वीकृति से तीन वर्ष तीन माह
5.	पंचम किशत	बेटरमेंट लेवी का 20%	21,14,264 / -	06.02.2027	भवन मानचित्र स्वीकृति से चार वर्ष

नोट:- उपरोक्तानुसार किशतों की राशि के उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) लेकर ही मानचित्र स्वीकृत किये जावे, उत्तर दिनांकित चैक (Post Dated Cheque) अस्वीकृत (Dishonour) होने पर चैक अस्वीकृत होने की दिनांक (विलम्ब अवधि) से नियमानुसार ब्याज देय होगा साथ ही परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instrument Act) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। बेटरमेंट लेवी हेतु देय किशत का चैक किसी विशेष परिस्थिति में अनादरित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक यदि चैक की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त किशत की राशि हेतु छः माह की अवधि हेतु 12 प्रतिशत ब्याज की दर से मय ब्याज जमा कराये जाने की छूट प्रदान की जा सकेगी।

भवदीय,

 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
 भवन मानचित्र समिति (बीपी)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {5153}; फैक्स- +91-141-2574555



DRAWING TITLE:

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN

TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL(EKAL PATTA)
APARTMENT AT KHASRA NO.-815/2 AT VILLAGE-
TILAWALA , TEHSIL - SANGANER, JAIPUR.

PROJECT CONSULTANT:



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100



FOR NAME AND ADDRESS ONLY

For AELFE PROJECTS PVT. LTD.
DIRECTOR

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/197/22030

OWNERS

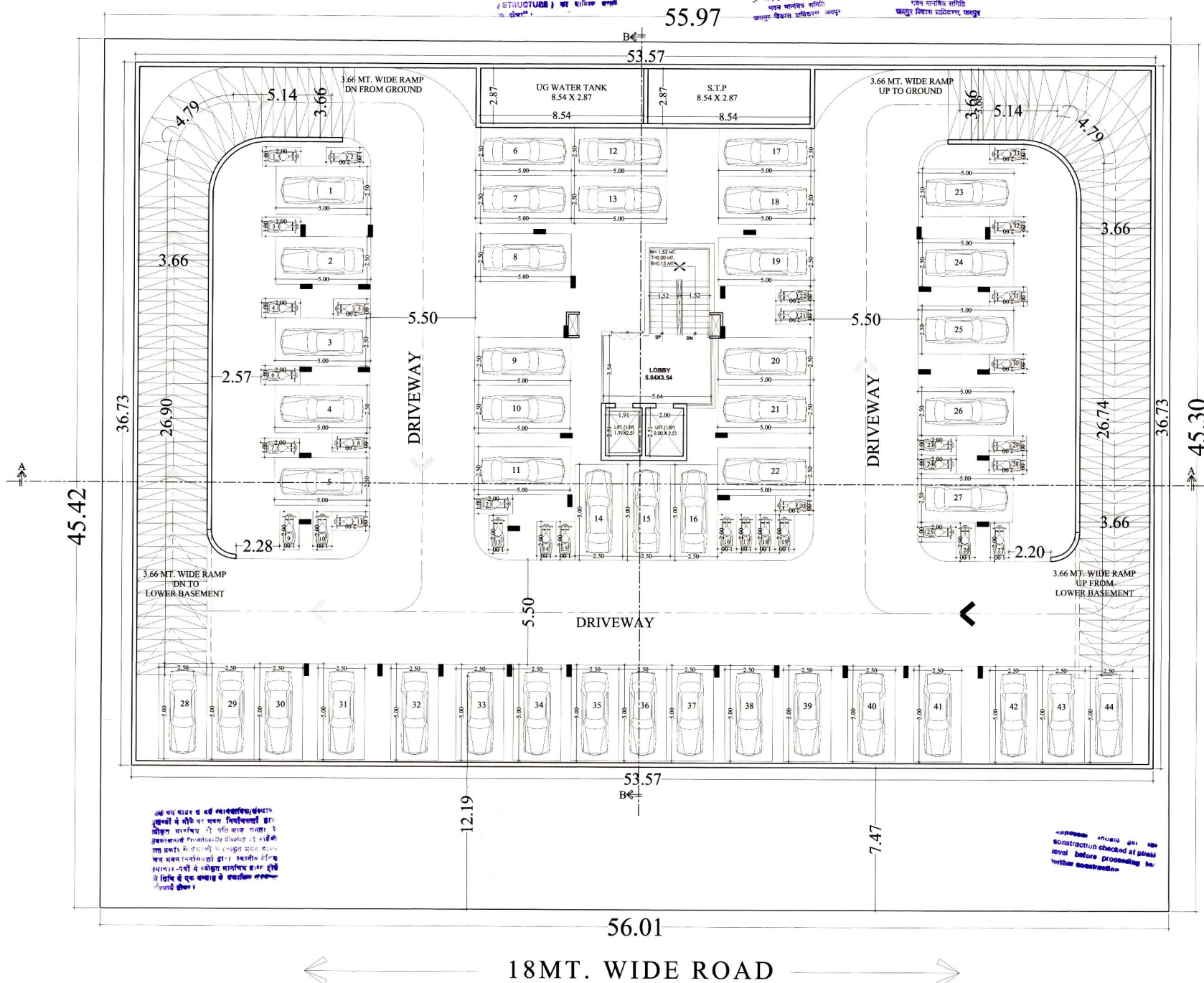
ARCHITECT

[illegible]

अनुमोदित

5256-2162, 28/2/23
अरिष्ठ नगर नियोजन
भवन प्रान्तिष्ठ समिति
ग्रामपंच विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य न्यायाजक
द्वारा मानविक समिति
अथवा विकास प्रामिद्वारा, अथवा



DRAWING TITLE:-

UPPER BASEMENT PLAN

TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL(EKAL PATTI)
APARTMENT AT KHASRA NO.-815/2 AT VILLAGE-
TILAWALA , TEHSIL - SANGANER, JAIPUR.

PROJECT CONSULTANT :-

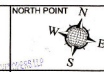


124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR

PHONE - 0141-2706227, 2712377

email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:100



For NATURAL HOMES BUILDING AND DESIGN PRESS LTD

OF SELPE PROJECTS PVT. LTD.
DIRECT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWA
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

STILT FLOOR PLAN

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
हरन मानसिंह समिति
पञ्चपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

construction checked at close
and before proceeding to
other construction

VISITOR PARKING (E.V CHARGING FACILITY)

DRIVEWAY
LVL. +0.30

DRIVEWAY

DRIVEWAY
LVL. +0.30

DRIVEWAY
LVL. +0.30

DRIVEWAY
LVL. +0.30

3.66 MT. WIDE RAMP

DRAWING TITLE:-

STILT FLOOR PLAN

TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL(EKAL PATTI)
APARTMENT AT KHASRA NO.-615/2 AT VILLAGE-
TILAWALA , TEHSIL - SANGANER, JAIPUR.

PROJECT CONSULTANT:



ARCHITECTURE | DESIGN | MAKING | INTERIOR

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email:ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

P.O. MAILING ADDRESS: 9111-153 AND DEVELOPMENT LLP

Originals Partial

1

Twelve Projects Pvt. Ltd.
DIRECTOR

94

GYANENDRA SINGH
Architect
CA/197/222

OWNER	ADJUDICATOR
-------	-------------

STILT FLOOR PLAN

५. यद्यपि भारत तु बहो भ्यावधारण/व्यवहार
कालो मे विविध प्रकार दिशिकर्तृ द्वारा
बहुधा मानवित्व के प्रति प्रवृत्त गच्छा है
अतः प्रत्येक Prominently display के दावे को
अपना प्रमाण के प्रमाण के अनुसार प्रमाण
बल प्रदान दिशिकर्तृ द्वारा मानवित्व देविक
भावधार-यन्त्रों मे स्वीकृत मानवित्व द्वारा ही
के विविध के एक व्यवहार के अन्तर्गत सम्पूर्ण
निर्माण कोशक है

18MT. WIDE ROAD

56.01

55.97

9.45

9.45

45.42

9.45

9.45

12.19

56.01

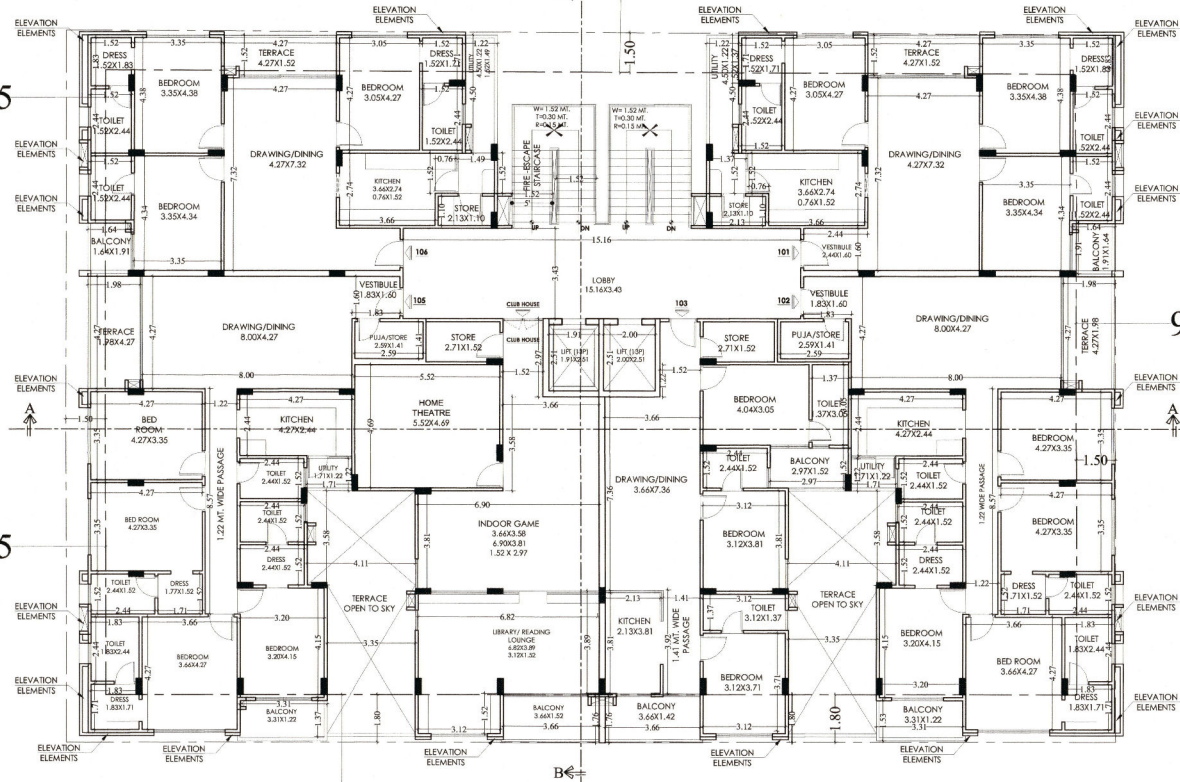
18MT. WIDE ROAD

FIRST FLOOR PLAN

आवासीय का समुदाय किसी भी जगह
अव्यवस्थित भूमि उपयोग के प्रति स्वस्थित का
अव्यवस्थित नहीं माने। वे बेहतर और अधिक
उत्पादकता के समुदाय को बनाए रखना चाहते हैं।
किसी भी जगह के अव्यवस्थित भूमि उपयोग को
किसी भी जगह के अव्यवस्थित भूमि उपयोग को
किसी भी जगह के अव्यवस्थित भूमि उपयोग को
किसी भी जगह के अव्यवस्थित भूमि उपयोग को

अनुमोदित
20/08/2023
अनुमोदित
अनुमोदित
अनुमोदित

अनुमोदित
अनुमोदित
अनुमोदित



आवासीय का समुदाय किसी भी जगह
अव्यवस्थित भूमि उपयोग के प्रति स्वस्थित का
अव्यवस्थित नहीं माने। वे बेहतर और अधिक
उत्पादकता के समुदाय को बनाए रखना चाहते हैं।
किसी भी जगह के अव्यवस्थित भूमि उपयोग को
किसी भी जगह के अव्यवस्थित भूमि उपयोग को
किसी भी जगह के अव्यवस्थित भूमि उपयोग को
किसी भी जगह के अव्यवस्थित भूमि उपयोग को

अनुमोदित
अनुमोदित
अनुमोदित

DRAWING TITLE:-

FIRST FLOOR PLAN

TITLE >
PROPOSED RESIDENTIAL (EKA PATTA)
APARTMENT AT KHASRA NO-6152 AT VILLAGE-
TELAWALA, TEHSIL - SANGANER, JAIPUR.

PROJECT CONSULTANT :-



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2786227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

NORTH POINT N

SCALE: 1:100

For NATURE'S HOUSE PLANS AND DEVELOPMENT

Checked and Approved

DIRECTOR

Gyanendra Singh Shekhawat

Architect

CA/19/22030

OWNER

ARCHITECT

SECOND TO ~~12TH~~ FLOOR PLAN

WHEELER PROJECTS PVT. LTD.
DIRECTOR
Gyanendra Singh Shekhawat
Architect
C/187/22030
OWNER ARCHITECT

ELEVATIONS

FRONT SIDE ELEVATION

LEFT SIDE ELEVATION

RIGHT SIDE ELEVATION

REAR SIDE ELEVATION

DRAWING TITLE:-
ELEVATIONS

TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL (EKA PATTI)
APARTMENT AT KHASRA NO-6152 AT VILLAGE-
TILAWALA, TEHSIL - SANGANER, JAIPUR.

PROJECT CONSULTANT :-



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE - 1:100

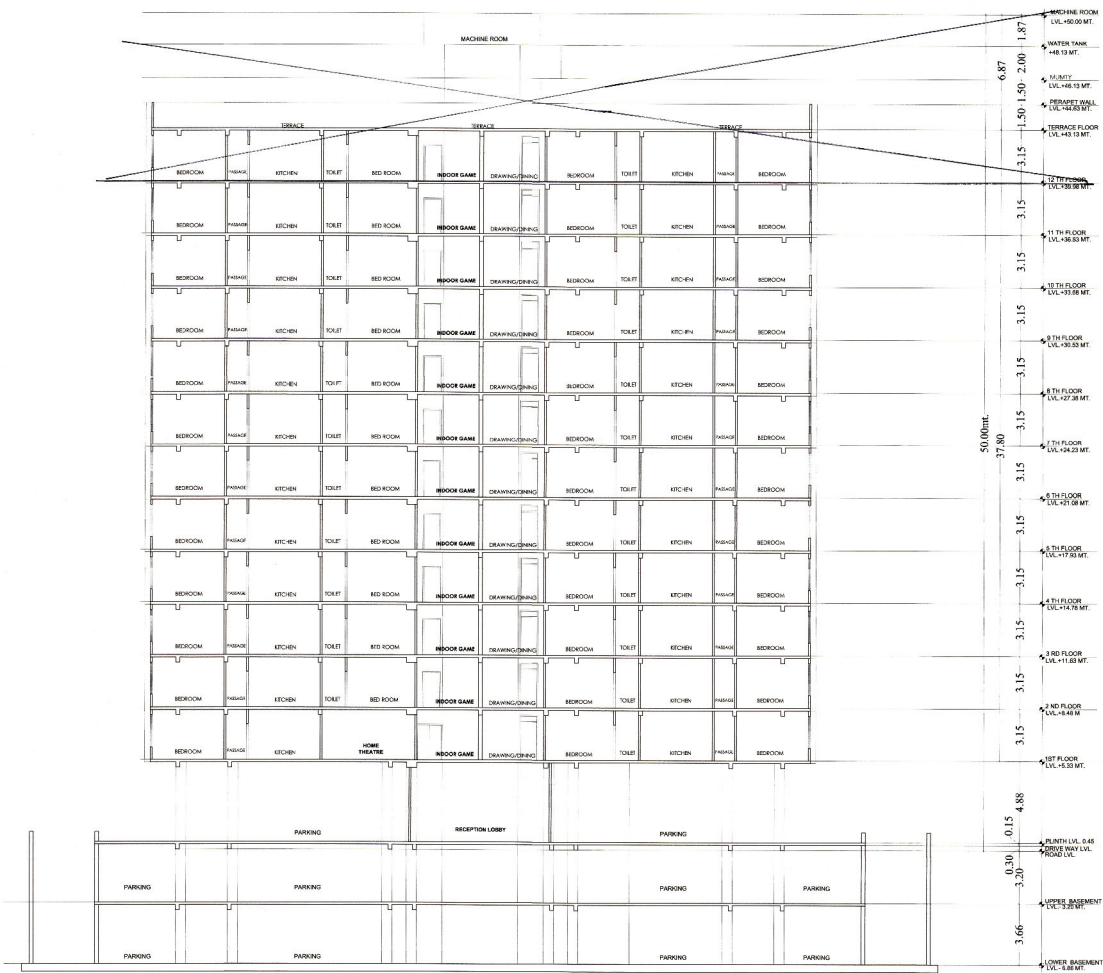


APPROVED FOR CONSTRUCTION
DATE: 10/05/2023
SIGNATURE: [Signature]

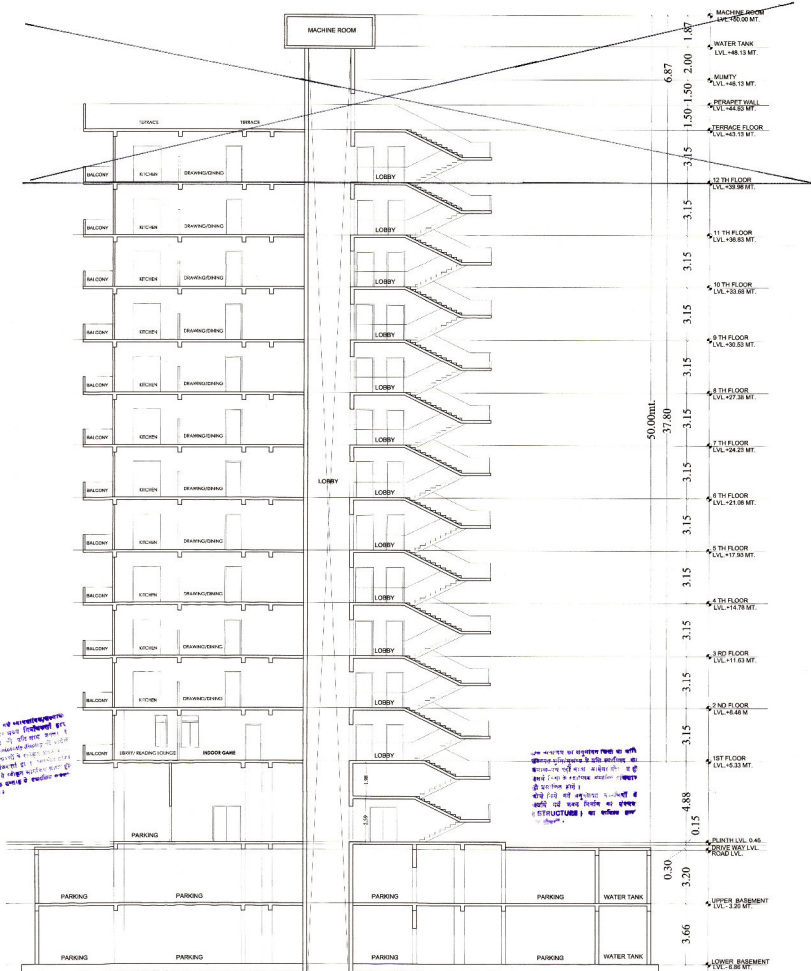
APPROVED FOR CONSTRUCTION
DATE: 10/05/2023
SIGNATURE: [Signature]

OWNER

ARCHITECT



SECTION - A-A



SECTION - B-B

DRAWING TITLE:-
SECTIONS

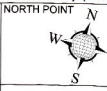
TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL(EKAL PATTA)
APARTMENT AT KHASRA NO.-615/2 AT VILLAGE-
TILAWALA , TEHSIL - SANGANER , JAIPUR.

PROJECT CONSULTANT :-



124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email:ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:100



OWNER
ARCHITECT